172

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक– 5/11/19

3जी / (मैनु0स्कै0)–70–02 / 2019 3019 / सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं0–2989(अ0) दिनांक–01.10.2013 के आलोक में 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25)' दिनांक–06.10.2013 से प्रवृत्त है।

2– 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25)' की धारा–32.(1) एवं (2) निम्नवत है:–

32.(1) The State Government may, by notification, designate a State Commission for Safai Karamcharis or a State Commission for the Scheduled Castes or such other statutory or other authority, as it deems fit, to perform, within the State. mutatis mutandis, the functions specified in sub-section (1) of section 31.

(2) An authority designated under sub-section (1) shall, within the State, have, mutatis mutandis, the powers of the National Commission for Safai Karamcharis as specified in sub-section (2) of section 31.

3– अधिनियम की धारा 32 (1) एवं (2) में निहित प्रावधानों के तहत इस अधिनियम के अनुपालन का अनुश्रवण हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन अथवा इस कार्य हेतु किसी अन्य वैधानिक संस्था या अन्य संस्था को प्राधिकृत किया जाना है।

4– अतः सम्यक विचारोपरांत 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25)' की धारा 32.(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार महादलित विकास मिशन, पटना को इस अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए नामित किया जाता है।

5– यह आदेश, निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4.11.19

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव

105

172

ज्ञापांक—3जी / (मैनु0स्कै0)—70—02 / 2019 3019 **पटना, दिनांक**— 5/11/19

प्रतिलिपि— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ भेजने हेतु सी0डी0 सहित प्रेषित।

5.11.19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक - 3जी / (मैनु0स्कै0)—70—02 / 2019 3019 **पटना, दिनांक**— 5/11/19

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, राज्य सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.11.19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—3जी / (मैनु0स्कै0)—70—02 / 2019 3019 **पटना, दिनांक**— 5/11/19

प्रतिलिपि—सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / सचिव, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.11.19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—3जी / (मैनु0स्कै0)—70—02 / 2019 3019 **पटना, दिनांक**— 5/11/19

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.11.19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक—3जी / (मैनु0स्कै0)—70—02 / 2019 3019 **पटना, दिनांक**— 5/11/19

प्रतिलिपि—आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.11.19

सरकार के सचिव